FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बंशीधर बनाम तहसीलदार, नीमकाथाना

किस्म मुकदमा:– वाद पत्र धारा 88 मु0नं0 472 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1035

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18-11-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.12.2024 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
9/12	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 20/2/25 को पेश हों।	
20/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07/05/25 को पेश हो।	
07/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/07/25 को पेश हो।	
8/7	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक [illegible] को पेश हों।	
12/9/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/10/25 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना** **उनवानी बंशीधर बनाम तहसीलदार मु0सं0 473/2024**	नम्बर व तारीख कार्रवाई इस हुकम की तामील में जारी हुआ
13-10-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।	

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''बंशीलाल पुत्र हनुमानप्रसाद'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''बंशीलाल पुत्र हनुमानप्रसाद'' की जगह ''बंशीधर पुत्र हनुमान प्रसाद'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

तन ग्राम नाथा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1/1161 रकबा 0.35 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम ''बंशीलाल पुत्र हनुमानप्रसाद'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''बंशीधर पुत्र हनुमान प्रसाद'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा [illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:19 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना